दिनांक 20.05.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के भवन अनुज्ञा एवं तोड़फोड़ दस्ता की संयुक्त टीम ने कुरुद क्षेत्र में 6 स्थानों पर किये गये अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर भूमि को मूल स्वरुप प्रदान किया गया। आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर निगम क्षेत्र में किये जा रहे निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्यवाही लगातार कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को जोन क्रमांक 02 कुरुद रुंगटा कालेज के सामने श्रीमती टिकेश्वरी देवांगन खसरा नं. 495/2, संतोष वर्मा ख.नं. 490, मधु/प्रमोद प्लाट नं. 11, 12 एवं 13, प्रेमप्रकाश ख. नं. 491, शेख युनुस अली ख.नं. 491/4, देवेन्द्र मध्यानी आत्मज खेमन मध्यानी ख.नं. 351 पर अपने निजी भूमि में बिना कालोनाईजर लायसेंस लिये तथा निगम से बिना अनुमति के विक्रय हेतु प्लाटिंग किया जा रहा था प्लाटिंग हेतु भूमि पर चूना मार्किंग कर तथा पहुंच मार्ग का निर्माण किया गया था जिसे निगम के तोड़फोड़ दस्ता ने भवन अनुज्ञा अधिकारी सुनील जैन के नेतृत्व में जेसीबी के माध्यम से पहुंच मार्ग तथा लगाये गये खुंटे को उखड़वाकर जमीन को मूल स्वरुप प्रदान किया गया। इसी प्रकार कुरुद मेन रोड में इन्दू आईटीआई के पास जैबून निशा/याकूब अली द्वारा अपनी आवासीय उपयोग की भूमि पर व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा था जिसे मौके पर पहुंचे निगम की टीम ने बंद करवाया तथा 5 तगाड़ी एवं 2 फावड़े जब्त किया है।

जनसम्पर्क अधिकारी

''जल है तो कल है'' ''जल ही जीवन है''